

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, राजसमंद
(नरेश बुनकर, आर0ए0एस0 द्वारा अध्यासित)

पंचायत रिवीजन संख्या : 26/2025

दायर दिनांक : 02.05.2025

निर्णय दिनांक : 17.02.2026

—: अनवान :-

1. ग्राम पंचायत सकरावास, जरिये प्रशासक रीना सरगरा पत्नि रमेश सरगरा निवासी मदारा तहसील रेलमंगरा जिला राजसमन्द(राज.)
2. ग्राम पंचायत सकरावास, जरिये ग्राम विकास अधिकारी सुरेश शर्मा पिता चुन्नीलाल शर्मा निवासी व्यास मोहल्ला तहसील रेलमंगरा जिला राजसमन्द(राज.)

— प्रार्थीगण/निगराकार

बनाम

श्रीमती भागुड़ी पत्नि लेहरू कालबेलिया निवासी सकरावास, तहसील रेलमंगरा,
जिला राजसमन्द (राज.)

— गैर निगराकार

निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 बाबत निरस्त करने पट्टा दिनांक 02/10/2024 पट्टा संख्या 360 ग्राम पंचायत सकरावास

उपस्थित:-

- 1- श्री शैलेन्द्र सिंह शक्तावत, अधिवक्ता प्रार्थी/निगराकार
- 2- श्री प्रहलाद शर्मा, अधिवक्ता अप्रार्थी/गैर निगराकार

:: निर्णय ::

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि निगराकार द्वारा निगरानी याचिका अन्तर्गत धारा 97 पंचायती राज अधिनियम 1994 के तहत ग्राम पंचायत सकरावास द्वारा जारी पट्टा संख्या 360 दिनांक 02.10.2024 के विरुद्ध प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अन्दर हल्के आबादी ग्राम पंचायत सकरावास तहसील रेलमंगरा जिला राजसमन्द में एक भूखण्ड पूर्व से पश्चिम 40 फिट, उत्तर से दक्षिण 30 फिट कुलिया 1200 वर्गफिट की होकर इन पड़ोसों के मध्य स्थित है। पूर्व में पड़त आबादी, पश्चिम में आम रास्ता, उत्तर में पड़त आबादी, दक्षिण में आम रास्ता है। गैर निगराकार द्वारा ग्राम पंचायत के समक्ष उक्त भू खण्ड के आवंटन हेतु आवेदन किया गया, जिस पर मिसल संख्या 54/2024 दायर की जाकर गैर निगराकार को उक्त भूखण्ड का पट्टा, पट्टा संख्या 360 दिनांक 02/10/2024 को जारी



P.T.0

किया गया। गैर निगराकार द्वारा किये गये आवेदन एवं शपथपत्र में कई रिक्विजिटियां होकर अपूर्ण है। जो कि व्यवहार प्रक्रिया संहिता के नियमों के विरुद्ध होकर किसी भी प्रकार कि आवेदन की श्रेणी में नहीं आता है। जिससे प्रश्नगत पत्रावली में कोई आवेदन शपथ पत्र प्राप्त होना नहीं माना जा सकता। प्रश्नगत पट्टा जारी होने के पश्चात निगराकार द्वारा अपने विधिक परामर्श दाता से विधिक जानकारी प्राप्त की तो विधिक परामर्शदाता द्वारा दी गई विधिक राय के अनुसार ग्राम पंचायत को उक्त पट्टा विधि के ज्ञान के अभाव में जारी कर दिया गया। गैर निगराकार द्वारा तात्विक तथ्यों को छिपाकर आवेदन प्रस्तुत किया गया वस्तुतः गैर निगराकार उक्त पट्टा प्राप्त करने की विधिक पात्रता नहीं रखता था फिर भी गैर निगराकार द्वारा तात्विक तथ्यों को छिपाकर आवेदन पेश कर पट्टा प्राप्त कर लिया गया। जिसमें पात्रता संबंधी विधिक पात्रता न होने से उक्त पट्टा निरस्त होने योग्य है। आवंटनकर्ता ग्राम पंचायत द्वारा विधिक प्रावधानों की सख्त पालना नहीं होने के कारण एक विधिक त्रुटि हुई है। जिससे उक्त पट्टा संख्या 360 दिनांक 02/10/2024 से क्षुब्ध होकर निगरानी आप न्यायालय में इन आधारों पर प्रस्तुत है कि गैर निगराकार द्वारा ग्राम पंचायत के समक्ष उक्त भू खण्ड के आवंटन हेतु आवेदन किया गया, जिस पर मिसल संख्या 54/2024 दायर की जाकर गैर निगराकार को उक्त मूखण्ड का पट्टा, पट्टा संख्या 360 दिनांक 02/10/2024 को जारी किया गया। जो विधि अनुसार न होकर निरस्त होने योग्य है। प्रश्नगत पट्टा विधिविरुद्ध होकर शुद्धता, वैधता, औचित्यता लिये हुए नहीं होकर निरस्त होने योग्य है। गैर निगराकार को उक्त भू खण्ड जरिये पट्टा संख्या 360 दिनांक 02/10/2024 को आवंटित हुआ जिसके विधिसंगत न होने की जानकारी ग्राम पंचायत दिनांक 15/04/2025 को हुई। जिस पर 17/04/2025 को विशिष्ट कोरम बैठक में प्रस्ताव संख्या 03 के जरिये सर्वसम्मति से प्रश्नगत पट्टे संबंधित निगरानी प्रस्तुत करने का अनुमोदन किया गया। जिससे उक्त भूखण्ड के आवंटन को निरस्त फरमाने हेतु निगरानी अन्दर अवधि प्रस्तुत है। जिससे उक्त भू खण्ड के आवंटन को निरस्त फरमाने हेतु निगरानी जानकारी के निराकरण हेतु प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 अवधि अधिनियम का मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया। अतः निवेदन है कि गैर निगराकार भागुड़ी कालबेलिया के नाम जारी उक्त प्रश्नगत पट्टा दिनांक 02/10/2024 पट्टा संख्या 360 ग्राम पंचायत सकारावास को निरस्त फरमाया जाकर गैर निगराकार को इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा से प्रतिबंधित फरमाया जाये कि प्रश्नगत शून्य पट्टे के संबंध में किसी प्रकार का कोई दस्तावेज निष्पादित नहीं करे तथा प्रश्नगत भूमि पर किसी प्रकार की बाधा हस्तक्षेप अतिक्रमण नहीं करे।

प्रार्थी/निगराकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी याचिका को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी/गैर निगराकार को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री प्रहलाद शर्मा ने उपस्थिति दी।



P.T.O.

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी गयी। दौराने बहस अधिवक्ता प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि ग्राम पंचायत सकरावास द्वारा जारी पट्टा संख्या 360 दिनांक 02.10.2024 के विरुद्ध प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अन्दर हल्के आबादी ग्राम पंचायत सकरावास तहसील रेलमंगरा जिला राजसमन्द में एक भूखण्ड पूर्व से पश्चिम 40 फिट, उत्तर से दक्षिण 30 फिट कुलिया 1200 वर्गफिट की होकर इन पड़ोसों के मध्य स्थित है। पूर्व में पड़त आबादी, पश्चिम में आम रास्ता, उत्तर में पड़त आबादी, दक्षिण में आम रास्ता है। गैर निगराकार द्वारा ग्राम पंचायत के समक्ष उक्त भू खण्ड के आवंटन हेतु आवेदन किया गया, जिस पर मिसल संख्या 54/2024 दायर की जाकर गैर निगराकार को उक्त भूखण्ड का पट्टा, पट्टा संख्या 360 दिनांक 02/10/2024 को जारी किया गया। गैर निगराकार द्वारा किये गये आवेदन एवं शपथपत्र में कई रिक्तियां होकर अपूर्ण है। जो कि व्यवहार प्रक्रिया संहिता के नियमों के विरुद्ध होकर किसी भी प्रकार कि आवेदन की श्रेणी में नहीं आता है। जिससे प्रश्नगत पत्रावली में कोई आवेदन शपथ पत्र प्राप्त होना नहीं माना जा सकता। प्रश्नगत पट्टा जारी होने के पश्चात निगराकार द्वारा अपने विधिक परामर्श दाता से विधिक जानकारी प्राप्त की तो विधिक परामर्शदाता द्वारा दी गई विधिक राय के अनुसार ग्राम पंचायत को उक्त पट्टा विधि के ज्ञान के अभाव में जारी कर दिया गया। गैर निगराकार द्वारा तात्विक तथ्यों को छिपाकर आवेदन प्रस्तुत किया गया वस्तुतः गैर निगराकार उक्त पट्टा प्राप्त करने की विधिक पात्रता नहीं रखता था फिर भी गैर निगराकार द्वारा तात्विक तथ्यों को छिपाकर आवेदन पेश कर पट्टा प्राप्त कर लिया गया। जिसमें पात्रता संबंधी विधिक पात्रता न होने से उक्त पट्टा निरस्त होने योग्य है। आवंटनकर्ता ग्राम पंचायत द्वारा विधिक प्रावधानों की सख्त पालना नहीं होने के कारण एक विधिक त्रुटि हुई है। जिससे उक्त पट्टा संख्या 360 दिनांक 02/10/2024 से क्षुब्ध होकर निगरानी आप न्यायालय में इन आधारों पर प्रस्तुत है कि गैर निगराकार द्वारा ग्राम पंचायत के समक्ष उक्त भू खण्ड के आवंटन हेतु आवेदन किया गया, जिस पर मिसल संख्या 54/2024 दायर की जाकर गैर निगराकार को उक्त भूखण्ड का पट्टा, पट्टा संख्या 360 दिनांक 02/10/2024 को जारी किया गया। जो विधि अनुसार न होकर निरस्त होने योग्य है। प्रश्नगत पट्टा विधिविरुद्ध होकर शुद्धता, वैधता, औचित्यता लिये हुए नहीं होकर निरस्त होने योग्य है। गैर निगराकार को उक्त भू खण्ड जरिये पट्टा संख्या 360 दिनांक 02/10/2024 को आवंटित हुआ जिसके विधिसंगत न होने की जानकारी ग्राम पंचायत दिनांक 15/04/2025 को हुई। जिस पर 17/04/2025 को विशिष्ट कोरम बैठक में प्रस्ताव संख्या 03 के जरिये सर्वसम्मति से प्रश्नगत पट्टे संबंधित निगरानी प्रस्तुत करने का अनुमोदन किया गया। जिससे उक्त भूखण्ड के आवंटन को निरस्त फरमाने हेतु निगरानी अन्दर अवधि प्रस्तुत है। जिससे उक्त भू खण्ड के आवंटन को निरस्त फरमाने हेतु निगरानी जानकारी के निराकरण हेतु प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 अवधि अधिनियम का मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया। अतः निवेदन है कि गैर निगराकार भागुड़ी कालबेलिया के नाम जारी उक्त प्रश्नगत पट्टा दिनांक 02/10/2024 पट्टा संख्या 360 ग्राम पंचायत सकरावास को निरस्त फरमाया जावें।



P.T.O.

अधिवक्ता गैर निगराकार द्वारा अपनी बहस में कथन किया कि विपक्षी द्वारा नियमानुसार पट्टा प्राप्त करने हेतु ग्राम पंचायत में आवेदन किया गया। ग्राम पंचायत द्वारा नियमानुसार पुरी प्रक्रिया का पालन करने के पश्चात् ग्राम पंचायत द्वारा भूमि का निर्धारित शुल्क विपक्षी द्वारा जमा कराने के पश्चात् ग्राम पंचायत द्वारा नियमानुसार पट्टा जारी किया गया है। प्रार्थी का यह कहना गलत है कि गैर निगराकार द्वारा कोई तात्त्विक तथ्यों को छिपा कर आवेदन पेश किया है। विपक्षी को पट्टा नियमानुसार जारी किया गया है। गैर निगराकार के पक्ष में जारी पट्टा नियमानुसार विधिक प्रक्रिया का पालन किये जाने के पश्चात् जारी हुआ है जो निरस्त होने योग्य नहीं है। आवेदन के साथ प्रस्तुत शपथ पत्र नोटेरी से प्रमाणित होकर जिस दिनांक को शपथ पत्र निष्पादित हुआ वह दिनांक नोटेरी प्रमाणित कर्ता द्वारा अंकित की गई है। शपथ पत्र में कोई स्थान रिक्त होने से किसी भी नियमन का उल्लंघन नहीं होता है। गैर निगराकार द्वारा किसी भी नियम का उल्लंघन नहीं किया गया है। निगराकार द्वारा गैर निगराकार के आवेदन को स्वीकार करते हुए पट्टा जारी करने हेतु निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के तहत नियमानुसार पट्टा जारी किया है इस कारण उक्त पट्टा निरस्त नहीं किया जा सकता है। गैर निगराकार द्वारा नियमानुसार राशि भी जमा करवाई है। अतः निवेदन है कि निगराकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी याचिका सव्यय खारीज फरमाई जावें।

अधिवक्ता निगराकार की बहस पर गहन मनन किया व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। विचारणीय प्रकरण में निगराकार ने ग्राम पंचायत सकरावास द्वारा विपक्षी श्रीमती भागुडी के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 360 दिनांक 02.10.2024 के विरुद्ध उक्त निगरानी याचिका प्रस्तुत की गई है।

पत्रावली के अवलोकन से यह तथ्य परिलक्षित होता है कि प्रस्तुत निगरानी याचिका स्वयं प्रार्थी (जारीकर्ता) द्वारा प्रस्तुत की गई है, निगरानी प्रार्थना पत्र में पट्टा निर्गमन प्रक्रिया में प्रक्रियात्मक त्रुटियां एवं राजस्थान पंचायती राज नियमों की अपूर्ण अनुपालन की बात स्वीकार की गई है एवं विधिक प्रक्रिया की पालना नहीं की गई है। जो विधी के विपरीत है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर न्यायालय का यह निष्कर्ष है कि ग्राम पंचायत द्वारा जो पट्टा जारी किया गया उसमें ग्राम पंचायत द्वारा राजस्थान पंचायती राज नियमों एवं विधिक प्रक्रिया की पालना नहीं की है अतः निगराकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी याचिका स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।


ns

P.T.O.


Next Page →

:: आदेश ::

अतः उपरोक्त विवेचनान्तर्गत निगराकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी याचिका को स्वीकार किया जाकर ग्राम पंचायत सकरावास द्वारा जारी पट्टा संख्या 360 दिनांक 02.10.2024 को निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण इस निर्देश के साथ ग्राम पंचायत सकरावास को प्रतिप्रेषित (Remand) किया जाता है कि वादग्रस्त भू खण्ड के संबंध में साक्ष्य सबुत व दस्तावेजों का अवलोकन कर राजस्थान पंचायती राज नियमों एवं विधिक प्रक्रिया के अनुसार कार्यवाही संपादन करें।


(नरेश बुनकर)
अति० जिला कलक्टर
राजसमन्द

निर्णय आज दिनांक: 17.02.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(नरेश बुनकर)
अति० जिला कलक्टर
राजसमन्द